अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत ; कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **उभयपक्षकारान** को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

**-:: आदेश ::-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान्** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1643/1209 रकबा 2.7936 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम आई हुई है में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)